न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर
पीठासीन अधिकारी अनुपमा जोरवाल IAS
राजस्व अपील सं0 22/2024 (GCMS 2024/72)

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
1. भगाराम पुत्र अजूराम जाति बेलदार निवासी ग्राम हड्डा हाल निवासी दामपुरा तहसील व जिला जैसलमेर।		1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, पोकरण। 2. पटवारी हल्का काणोद तहसील जैसलमेर। 3. स्व. लूणाराम पुत्र केसराराम जाति बेलदार निवासी हड्डा हाल दामपुरा के का.मु.– 3/1 भूराराम पुत्र लूणाराम 3/2 फकीराराम पुत्र लूणाराम 4. आम्बाराम पुत्र केसराराम जाति बेलदार निवासी दामपुरा तहसील व जिला जैसलमेर।

अधिवक्ता :–

1. श्री बसीर मोहम्मद अधिवक्ता अपीलांट
2. ना. तहसीलदार (पैरोकार राज)

–::निर्णय::–

दिनांकः 09.06.2026

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बविरूद्ध नायब तहसीलदार, जैसलमेर के द्वारा ग्राम हड्डा नवसृजित ग्राम दामपुरा के नामान्तकरण संख्या 199 में पारित आदेश दिनांक 28.05.1993 एवं आदेश कमांक 168 दिनांक 28.05.1993

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हड्डा हाल नवसृजित गांव दामपुरा तहसील जैसलमेर के खसरा संख्या 571 जो अपीलान्ट की खातेदारी है इसी भूमि से लगती अपीलान्ट के पूर्वज अजुराम की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 570/903 में आई हुई है जो अपीलान्ट के पिता के नाम सैटलमेंट में दर्ज नहीं हो सकी जिसका वाद न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर में विचाराधीन है। अपीलान्ट के नाम खेत खसरा संख्या 571 ग्राम दामपुरा वर्तमान में खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि से लगती सरकारी भूमि खसरा संख्या 570 आई हुई है जो फाईनल सैटलमेंट के दौरान खसरा संख्या 570 की भूमि खसरा बन्दोबश्त के विशेष विवरण में टीपी लिखी गई है इस प्रकार यह भूमि सरकारी पड़त भूमि है और बरसात के दिनों में इसी पड़त भूमि से अपीलान्ट की खातेदारी भूमि 571 में बरसाती पानी की आवक हमेशा से आती रही है जिसको रेस्पोडेन्टगण द्वारा रोक दिया गया है और इस खसरा संख्या 570 के नक्शा में रेस्पोडेन्ट की जो तरमीम दर्शाई गई है, जो गलत एवं सरासर फर्जी है। रेस्पोडेन्ट के पूर्वज लूणाराम व आम्बाराम को किसी भी न्यायालय से खसरा संख्या 570 की खातेदारी नहीं मिली है रेस्पोडेण्ट द्वारा नक्शा में खसरा संख्या 570 में अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 571 से लगती तरमीम गलत रूप से की गई है।

अपीलांट द्वारा अपील में कथन किया गया है कि अपीलान्ट के खातेदारी खेत खसरा संख्या 571 से लगता कोई खेत खसरा संख्या 570/992 नक्शा में दर्शित नहीं है लेकिन पटवारी हल्का द्वारा नक्शा में खसरा संख्या 570 में जो गलत तरीके से तरमीम बताई है उसका कोई आदेश नहीं है कि यह जमीन रेस्पोडेन्टस लूणाराम व आम्बाराम या उनके पिता को किस निर्णय के आधार पर उनको खातेदारी अधिकार दिये गये इसका कोई राजस्व रेकर्ड कार्यालयों में मौजूद नहीं है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत कर नायब तहसीलदार जैसलमेर व अधिकृत अधिकारी के आदेश कमांक 168 दिनांक 28.05.1993 की पालना में खोले गये नामान्तकरण को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपीलांट द्वारा अपील के संलग्न धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट अनपढ़, मजदूर एवं कानूनी रूप से अनजान होने तथा उक्त आदेश की जानकारी होने पर प्रतिलिपि प्राप्त करने के पश्चात् अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी

जिला कलक्टर
जैसलमेर

को क्षम्य कर अपील को अन्दर म्याद स्वीकार करने का निवेदन किया गया है। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। सम्यक तामीली के उपरान्त रेस्पाडेण्ट संख्या 03 व 04 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपील का निर्णय गुणावगुण पर किये जाने का विनिश्चिय किया गया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा धारा 05 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र के संबंध में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा जानबूझकर अपील पेश करने में कोई लापरवाही नहीं की है। अपीलांट गरीब, अनपढ़ एवं मजदूर आदमी होने तथा राजस्व रेकर्ड से अनभिज्ञ होने से अपील प्रस्तुत किये जाने में विलंब हुआ है जिसे क्षम्य कर अपील अन्दर म्याद सुमार किये जाने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट के धारा 05 के प्रार्थना पत्र के संबंध में किसी प्रकार की आपति नहीं किये जाने से अपील अन्दर म्याद सुमार की जाती है।

अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलान्ट के नाम में खेत खसरा संख्या 571 ग्राम दामपुरा वर्तमान में खातेदारी दर्ज है, उक्त खातेदारी भूमि से लगती सरकारी भूमि खसरा संख्या 570 आई हुई है। बरसात के दिनों में इसी पड़त भूमि से अपीलान्ट की खातेदारी भूमि 571 में बरसाती पानी की आवक हमेशा से आती रही है जिसको रेस्पोडेन्टगण द्वारा रोक दिया गया है और इस खसरा संख्या 570 के नक्शा में रेस्पोडेन्ट की जो तरमीम दर्शाई गई है, जो गलत एवं सरासर फर्जी है। रेस्पोडेन्ट के पूर्वज लूणाराम व आम्बाराम को किसी भी न्यायालय से खसरा संख्या 570 की खातेदारी नहीं मिली है रेस्पोडेण्ट द्वारा नक्शा में खसरा संख्या 570 में अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 571 से लगती तरमीम गलत रूप से की गई है। अपीलांट नायब तहसीलदार जैसलमेर व अधिकृत अधिकारी के आदेश क्रमांक 168 दिनांक 28.05.1993 की पालना में खोले गये नामान्तकरण को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 02 की ओर से पैरोकार राज के द्वारा कथन किया गया कि आलोच्य नामान्तकरण खोले जाने से पूर्व संयुक्त खातेदारी भूमि थी, जिसका विभाजन आलोच्य नामान्तकरण के द्वारा खातेदारों के मध्य बराबर हिस्से अनुसार किया गया है। आलोच्य नामान्तकरण में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है।

उभय पक्षों की बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अपीलाधीन आलोच्य नामान्तकरण संख्या 199 को देखा गया। उक्त नामान्तकरण खोले जाने से पूर्व उक्त भूमि संयुक्त खातेदारों क्रमशः लूणाराम पुत्र केसराराम एवं आंबाराम पुत्र केसराराम की भूमि कुल रकबा 46 बीघा दर्ज थी, जिसकों आलोच्य नामान्तकरण के द्वारा विभाजित करते हुए खातेदार लूणाराम पुत्र केसराराम एवं आम्बाराम पुत्र केसराराम के नाम रकबा क्रमशः 23–23 भूमि बीघा दर्ज की गई है। अपीलांट द्वारा अपील में राजकीय सिवायचक भूमि के संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी में वाद विचाराधीन होने एवं पानी की आवक प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है। राजकीय सिवायचक भूमि में खातेदारी अधिकारों हेतु वाद विचाराधीन होने से किसी के हक एवं अधिकारों का सृजन नहीं होता है। अतः उक्त स्थिति में आलोच्य नामान्तकरण में हस्तक्षेप किये जाने के कोई ठोस एवं विधिक आधार उपलब्ध नहीं होने से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से **अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य नामान्तकरण यथावत रखा जाता है।** उभय पक्ष अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 09.06.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
जैसलमेर

जिला कलक्टर
जैसलमेर